कार्यालय जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर

क्र./सम्पत्ति/जविप्रा/2026/ 3922 जबलपुर, दिनांक 17/11/2026

ऑनलाईन ऑफर आमंत्रण सूचना

प्राधिकरण की योजना क्रमांक **18 सिविक सेंटर** मढाताल, जबलपुर के अंतर्गत निम्नतालिका में वर्णित रिक्त **Operation & Maintenanace of Recreation Center with Children's Amusement Park & Restaurant** को **मासिक लायसेंस फीस** पर आवंटन हेतु ऑनलाइन ऑफर आमंत्रित किये जाते है : -

क्रं.	योजना क्रमांक व नाम	संपत्ति विवरण	अनुमानित क्षेत्रफल	न्यूनतम मासिक लाइसेंस फीस	अमानत राशि (दो माह की अग्रिम लाइसेंस फीस)
1	18 सिविक सेंटर, मढाताल	**Operation & Maintenanace of Recreation Center with Children's Amusement Park & Restaurant (CEFETERIA, CIVIC CENTRE, JABALPUR, M.P)**	2.08 एकड़	6.80 लाख (प्रतिमाह एवं अन्य लागू शुल्क)	13,60,000/-

आवेदन की अवधि	**18/11/2026 से 02/12/2026 (सांय 05 बजे तक)**
बिड डालने की अंतिम तिथि	**03/12/2026 (सायं 05 बजे तक)**
वित्तीय ऑफर खुलने की तिथि	**04/12/2026 (दोपहर 03:00 बजे)**

नोटः- 1. मासिक लायसेंस फीस पर जीएसटी (वर्तमान में 18 प्रतिशत) एवं नियमानुसार अन्य लागू शुल्क अतिरिक्त देय होगें।

2. आवंटी को अनुबंध संपादन के पूर्व सुरक्षा निधि के रूप में राशि रू. 45 लाख प्राधिकरण में जमा करानी होगी।

विस्तृत जानकारी जबलपुर विकास प्राधिकरण के पोर्टल **www.vikaspradhikran.mponline.gov.in** एवं www.jdajabalpur.org पर उपलब्ध है। ऑनलाईन आवेदन फॉर्म रु. 1,000/- एवं जीएसटी रू. 180/- ऑनलाईन भुगतान कर सबमिट की जा सकती है। बोली/ऑफर प्रस्तुतकर्ताओं को निर्धारित अमानत राशि पोर्टल पर दिये गये निर्देशानुसार जमा करना होगी, तभी पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण मानी जावेगी।

अन्य नियम एवं शर्तेः- (1) ऑफर स्वीकृति की सूचना दिये जाने के एक सप्ताह के भीतर स्वीकृत दर अनुसार 02 माह की अग्रिम लायसेंस फीस अनिवार्यतः देय होगी। (2) निर्धारित समय में अग्रिम लायसेंस फीस जमा न किये जाने पर अमानत की राशि राजसात कर ली जावेगी। (3) मासिक लायसेंस फीस की राशि स्वप्रेरणा से बिना प्राधिकरण कार्यालय की लिखित सूचना के प्रत्येक माह की अंतिम तिथि तक अग्रिम जमा करनी अनिवार्य होगी। मासिक लायसेंस फीस नियत तिथि के बाद विलंब से जमा करने की स्थिति में नियमानुसार 15% वार्षिक की दर से दाण्डिक ब्याज पृथक से देय होगा। (4) संपत्ति लायसेंस फीस पर लेने के पूर्व स्थल निरीक्षण करने के उपरांत ही आवेदन प्रस्तुत करें, तत्पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा। (5) आवेदन मान्य किये जाने/निरस्त किये जाने/विज्ञापन संपत्ति को स्थगन किये जाने/विवाद के निराकरण में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। (6) उपरोक्त शर्तो के साथ व्ययन नियम 2018 एवं समय समय पर जारी शासनादेश तथा आवेदन पत्र में दी गई शर्तें आवेदक को मान्य होंगी। (7) मासिक लायसेंस फीस एवं ब्याज राशि पर नियमानुसार 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी अतिरिक्त देय होगी। (8) ऑफर आवेदन फॉर्म की सभी शर्तें अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही आवेदन प्रस्तुत करें।

(मु.का.अधि.महो. द्वारा अनुमोदित)

संपदाधिकारी
जबलपुर विकास प्राधिकरण
जबलपुर

पृ.क्र./जविप्रा/ जबलपुर दिनांक / /2026

प्रतिलिपिः- 1. कार्यपालन यंत्री, यो. क्र ..... जविप्रा, जबलपुर को सूचनार्थ।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जबलपुर को न्यूनतम् स्पेश में प्रकाशन की कार्यवाही हेतु।
3. कम्प्यूटर शाखा, जविप्रा, जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
4. प्रचार शाखा, जविप्रा, जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

नोटिस बोर्डः- 5. सम्भागायुक्त कार्यालय, जबलपुर। 6. कलेक्टर कार्यालय, जबलपुर।
7. निगमायुक्त जबलपुर। 8. नग्रानि, जबलपुर। 9. जिला पंचायत कार्यालय, जबलपुर
10. तहसील कार्यालय, जबलपुर।

संपदाधिकारी
जबलपुर विकास प्राधिकरण
जबलपुर